"श्री सिमर दीप सिंह (खनन पट्टा संख्या 17/2018) की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 28.06.2022 समय 11.00 प्रातः

यह जनसुनवाई श्रीमान ओ0पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता एवं श्रीमान शरद जी सक्सेना क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की गयी। जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर. के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 28.05.2022 एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 28.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"श्री सिमरदीप सिंह"** द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार खनन परियोजना (खनन प्लॉट संख्या 17/2018 लीज क्षेत्र 4.0744 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.5207 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1334350 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 556355 TPA निकट ग्राम बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 6.40 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 27.08.2021 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "अ"** में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री निमीष सिंघवी द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयारं की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई. ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक "ब"** के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

1. श्री फतेह सिंह ग्रामवासी बोडकी

हमारे गांव के अन्दर माईन्स वगैरह चल रही है। हमारी मांग यह है कि पहले हमारे गांव वालों को रोजगार दिया जाए वक्षारोपण किया जाए। मिट्टी उड़ती है तो रोड का डामरीकरण किया जाए। रोड के साईट में वृक्षारोपण किया जाए। मिट्टी उड़ती है उसके लिए रोड़ पर पानी का छिड़काव किया जाए।

पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि 30–40 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जायेगा। अप्रत्यक्ष रूप से कम 300–400 लोगों के रोजगार मिलेगा।

रोड के दोनो ओर वृक्षारोपण किया जायेगा।

खान से निकलने वाली कच्ची रोड को पक्का किया जायेगा। रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा।

श्री शरद जी सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर

क्या रोजगार के लिए प्राथमिकता गांव वालों को दी जाएगी

क्षेत्रीय अधिकारी श्री शरद सक्सेना ने बताया कि और भी कुछ कहना चाहे तो मंच पर आकर कहे।

पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता गांव वालो को दी जायेगी।

2. विकम सिंह ग्रामवासी बोडकी

इस पर श्री विक्रम सिंह ने मांग रखी कि बाहर के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाए, यही हमारी मांग है।

इस पर लीज आवेदक द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो एम्पलोयमेंट यहां के लोगों को ही मिलेगा।

3. श्री करण सिंह, निवासी बोडकी

जो माईन्स चल रही है जिन लोगों ने बिलानाम जमीन पर कब्जा कर रखा है वह जमीन माईन्स के नाम पर हो चुकी है। जो बिलानाम जमीन एवं चरनोट की

प्रति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने का आदेश फरमाया जावे। जो गलत काम हो रहा है उनको आप तुरन्त हटवाने की कृपा करें

इस पर श्री ओ0 पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर ने कहा आपको जिस माईन्स पर आपत्ति है आप लिखित रूप में उसकी शिकायत प्रस्तुत करे कार्यवाही कि जायेगी।

4. श्री विक्रम सिंह बोड़की

हमारी मांग यह है कि हमारी स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाए । हमारे गांव में रोड़ नहीं है। आज भी बोडकी से जाने के लिए कच्चा रास्ता है । गाडिया निकलती है तो पानी का छिडकाव किया जाए। गांव के लोगों को रोजगार दिया जाए।

पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि जहां तक पानी के छिडकाव का सवाल है सभी कलस्टर खान मालिक द्वारा पानी छिडकाव के लिए साल का 2.00 लाख का प्रोविजन किया गया है। पानी का छिड़काव सभी लेसी द्वारा किया जाएगा।

स्कूल हेतु ...... रूपये प्रति वर्ष देना का प्रावधान किया गया है।

5. श्री विक्रम सिंह

स्कूल का पट्टा नहीं है। आम रास्ता बता रखा है। सबसे पहले हमारे स्कूल की व्यवस्था की जाए।

इस पर श्री ओ0पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर ने कहा कि जिला प्रशासन का कार्य है। उपस्थित तहसीलदार लसाडिया को निर्देशित किया गया कि रिकार्ड में देखकर समुचित कार्यवाही करे।

6. श्री फतेहसिंह बोडकी

मरीजों को यहां से कुण,या बलीचा या लसाडिया ले जाना पड़ता है तो छोटा सा डाक्टर बैठ जाए, छोटा सा उप स्वास्थय केन्द्र यहां हो जाए, अच्छा रहेगा।

पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि आप ग्रामवासियों के लिए सभी कलस्टर खान मालिकों द्वारा कुल 7.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष एक फण्ड प्रावधान किया गया है जो कि आपके स्वास्थ्य सेवा के लिए काम आएगा।

डीएमएफटी फण्ड से बहुत सारे डवलपमेंट होते है तो आपके यहां जो जनप्रतिनिधि है साहब के यहां रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपके आग्रह पर राशि जारी होगी जिसे आप गांव के विकास के लिए खर्च कर सकते है।

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। **(परिशिष्ठ "स")**

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "य"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)	(शरद सक्सेना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)	क्षेत्रीय अधिकारी,
जिला–उदयपुर	क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

श्री सिमरदीप सिंह, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, (प्लॉट सं. 17/2016, क्षैत्रफल–4.0744 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1334350 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 556355 TPA निकट ग्राम–बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 28.06.2022 को 11:00 AM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोडकी मे श्री सिमरदीप सिंह, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर मे आयोजित जनसुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	ओ०पी० बुनकर	ADM, Udaipur	[signature]
	शरद सक्सेना	R.O. RPCB Udaipur	[signature]
	रमेशचन्द्र बेडरा	TsR Lusadiya	[signature]
	शिव कुमार	AEE, RPCB Udaipur	[signature]
	नारु लाल	बोड़की	नारुलाल
	शंकर लाल	बोड़की	शंकरलाल
	जगदीश	बोड़की	जगदीश
	मांगीलाल	बोड़की	मांगीलाल
	सुरेश	बोडकी	सुरेश
	नाटू	बोडकी	नाटू
	फुलचन्द्र	बोडकी	फुलचन्द्र
	मन्जीराम	बोडकी	मन्जीराम
	शान्तिलाल	बलिसा	शान्तिलाल
	मुकेश मीणा	बलिसा	मुकेश मीना
	देवी लाल	बोड़की	देवीलाल
	नारायणलाल मीणा	बोडकी	नारायणलाल
	मोहनलाल	बोडकी	मोहनलाल

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	सुर्मीला	बोड़की	सुमील
	देवी महेन्द्र मीणा	बोड़की	देवीमीणा
	मांगीलाल	बोड़की	मांगी [illegible]
	रमेश परमार	बोड़की	रमेश
	सुशील परमार	बोड़की	सुशील
	पन्नालाल	बोड़की	पन्ना
	गौतम	बोड़की	Gotam
	कन्हैयालाल	बोड़की	कन्हैयालाल
	राजेन्द्र	बोड़की	राजेन्द्र
	किशोर	बोड़की	किशोर
	कमला	बोड़की	कमला
	पनाराम	बालरा, रेबराय	पेमाराम
	प्रकाश चन्द मीणा	बोड़की	प्रकाश
	शंकर लाल मीणा	बोड़की	शंकर
	नाथूलाल मीणा	बोड़की	नाथू
	फतहसिंह	बोड़की	[illegible]
	Simardeep	Ynr, Haryana	Simardeep
	Kuldeep Yadav	Shastri Nagar Udaipur	[illegible]
	Amrit Pal Singh	" "	[illegible]
	Pavan Kumar	ILR KUM	[illegible]
	Prahlad Singh	JU. ASSi.	[illegible]
	Jaypal Singh	पटवारी	[illegible]

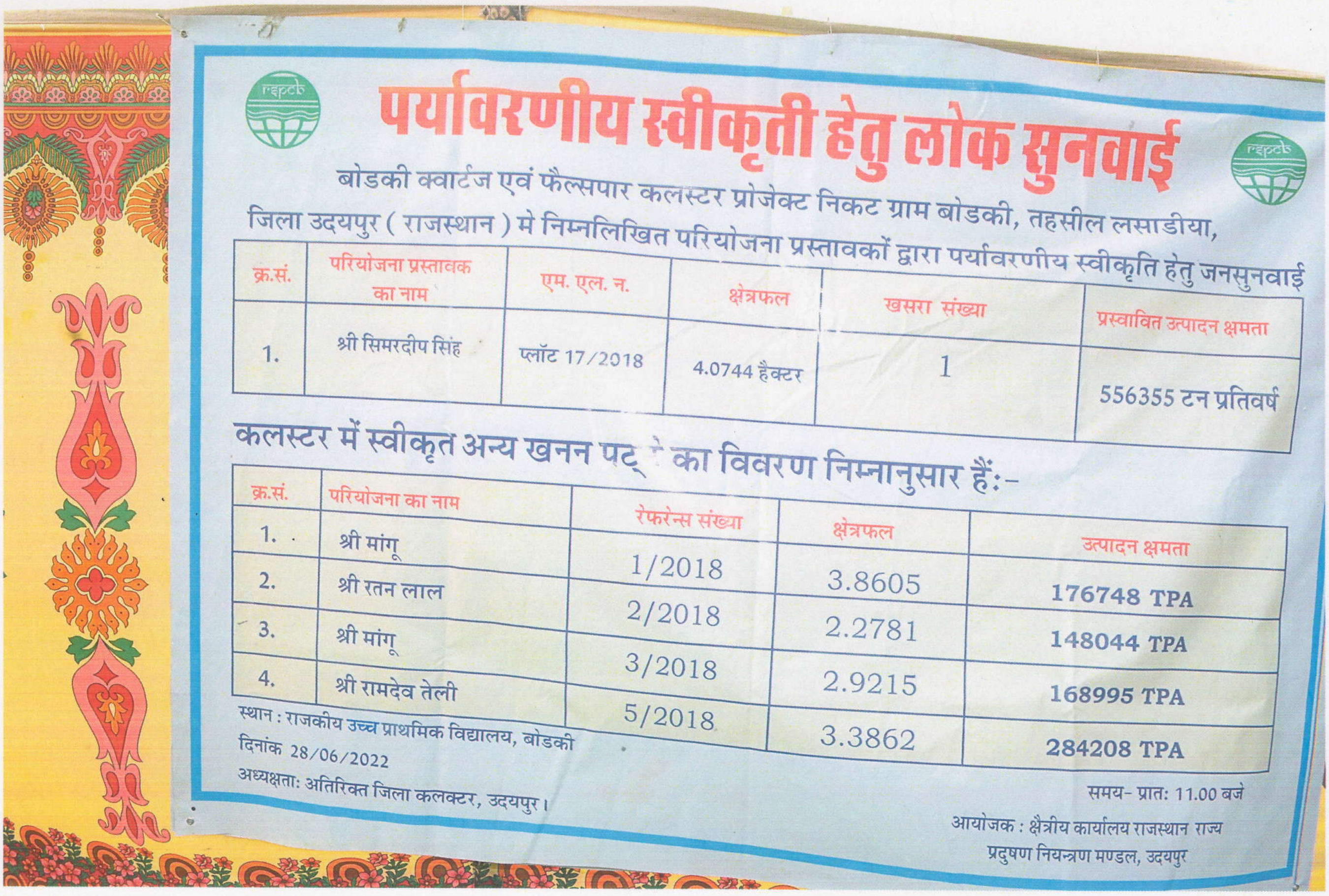
rspcb
पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई
बोडकी क्वार्टज एवं फैल्सपार कलस्टर प्रोजेक्ट निकट ग्राम बोडकी, तहसील लसाडीया,
जिला उदयपुर (राजस्थान) मे निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई
क्र.सं.
परियोजना प्रस्तावक का नाम
एम. एल. न.
क्षेत्रफल
खसरा संख्या
प्रस्वावित उत्पादन क्षमता
1.
श्री सिमरदीप सिंह
प्लॉट 17/2018
4.0744 हैक्टर
1
556355 टन प्रतिवर्ष
कलस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्
का विवरण निम्नानुसार हैः-
क्र.सं.
परियोजना का नाम
रेफरेन्स संख्या
क्षेत्रफल
उत्पादन क्षमता
1. श्री मांगू 1/2018 3.8605 176748 TPA
2. श्री रतन लाल 2/2018 2.2781 148044 TPA
3. श्री मांगू 3/2018 2.9215 168995 TPA
4. श्री रामदेव तेली 5/2018 3.3862 284208 TPA
स्थान : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोडकी
दिनांक 28/06/2022
अध्यक्षता: अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर।
समय- प्रातः 11.00 बजे
आयोजक : क्षैत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य
प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई
कलस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्टे का विवरण निम्नानुसार हैं:-
1/2018 3.8605 176748 TPA
2/2018 2.2781 148044 TPA
3/2018 2.9215 168995 TPA
5/2018 3.3862 284208 TPA
दिनांक 28/06/2022

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई
1/1
524794 टन प्रतिवर्ष
विवरण निम्नानुसार हैं:-
3.8605
176748 TPA
2.2781
148044 TPA
2.9215
168995 TPA
3.3862
284208 TPA